न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 25 / 2021

अनवान : –

1. फुसाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र सुखराम जाति चमार निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. चेतराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. ओमप्रकाश रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. शान्तिदेवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. परमेश्वरी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :–श्री किशनलाल यादव **प्रार्थी**
श्री पूनमचन्द वर्मा अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 20.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के खाता सं0 95 के मु0न0 12 के किला न0 7, 18, 23 की 0.759है0 मु0न0 13 के किला न0 11, 12, 19, 20, 21, 22 की 1.518है0 मु0न0 17 के किला न0 3 ता 8 की 1.518है0 मु0न0 28 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 की 1.518है0 इस प्रकार कुल 6.831है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 2 ता 7 की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी के चिपते ही अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 6 एनटीआर के खाता सं0 137 / 117 के मु0न0 11 के किला न0 16, 24, 25 मु0न0 12 के किला न0 19 ता 22 मु0न0 17 के किला न0 1, 2, 9, 10 मु0न0 18 के किला न0 4 ता 7 की कुल 3.795है0 कृषि भूमि है।

अप्रार्थी की कृषि भूमि के मु0न0 11 के किला न0 24, 25 मु0न0 18 के किला न0 5, 6 में उत्तर से दक्षिण गैरमुमकिन मन्जुरशुदा रास्ता है। जिस पर से प्रार्थी व अन्य लोग आवागमन करते है उससे आगे प्रार्थी मु0न0 18 के किला न0 6 के दक्षिणी हिस्से व मु0न0 17 के किला न0 9–10 के दिक्षिणी हिस्सा से बने सदामद से चालू रास्ते से आवागमन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

करता है। उपरोक्त रास्ता से प्रार्थी के आवागमन को वाधित करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में दिनांक 15.07.2015 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उक्त पत्रावली को खारिज किया गया था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी फुसाराम ने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील प्रस्तुत की। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए दिनांक 10.02.2021 को अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित करते हुए कि प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें के साथ पत्रावली न्यायालय हाजा को लौटाई।

पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर वाजवा नम्बर पर दर्ज की गई। तहसीलदार भादरा से पुनः नवीन मौका रिपॉर्ट प्राप्त की ।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु चक 6 एनटीआर के मु0न0 18 के किला न0 6 तथा मु0न0 17 के किला न0 9–10 में प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक है। उक्त प्रस्तावित रास्ता के संबंध में तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट में भी अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। वकील अप्रार्थी ने तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट पर पेश आपति तथा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 37, आरआरडी 2019 पेज 738, 119, आरआरटी 2019(2) पेज 1098, आरआरटी 2018–19 पेज 502, डीएनजे 2022(1) पेज 214 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक एक वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए मौजुद है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत 2021(2) आरआरटी 1286 राजस्व मण्डल अजमेंर में ये स्पष्ट वर्णित है कि वैकल्पिक रास्ता की उपलब्धता के तथ्यों पर विचार किये बिना नया रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की खातेदारी को टूकड़ों में विभाजित करने के उदेश्य से ही प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तावित रास्ता के अलावा एक अन्य रास्ता मु0न0 17 के किला न0 11–12 व मु0न0 18 के किला न0 15 में स्वीकृत बताया गया है जो वर्तमान में बंद होना दर्शाया गया है। चूंकि पत्रावली में पूर्व में भी निर्णय पारित होने तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी से रिमांड होने की स्थिति में मुझ पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा विवादित रास्ता का मौका मुआयाना किया गया। मौके पर प्रस्तावित रास्ता के अलावा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक बंद रास्ता मु0न0 17

अधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

किला न0 11–12 व मु0न0 18 के किला न0 15 में रास्ता से काश्तकारों द्वारा आवागमन होना तथा उक्त रास्ता प्रस्तावित रास्ते से निकटतम व लघुतम होना भी पाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वकील अप्रार्थी की न्यायिक दृष्टांत चरपा होने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के साथ–साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों 1. Necessity is absolute necessary 2. Absence of alternative means of access के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज मु0न0 17 के किला न0 11–12 व मु0न0 18 के किला न0 15 में रास्ता को भविष्य में बंद होने की स्थिति में खुलावाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रार्थी व अन्य खातेदारों के आवागमन में बाधा उत्पन्न ना हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़